



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234913
CG-DL-E-06042022-234913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1592]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944

No. 1592]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1675(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवारत होने के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1	श्री प्रवीन सोलंकी, आईएएस, सचिव और आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, गुजरात राज्य, गांधीनगर	केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4(3)(छ) के तहत गुजरात सरकार की अनुशंसा पर नामित

[फा. सं. 25011/17/2019-रेशम]

संजय रस्तोगी, अपर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1675(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following Officers to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification, subject to the provisions of the Act:

Sl. No.	Name and designation	Section of the Act
1.	Sh. Pravin Solanki, IAS, Secretary & Commissioner, Cottage and Rural Industries, Gujarat State, Gandhinagar.	Nominated on the recommendation of Govt. of Gujarat under Section 4(3) (g) of the CSB Act, 1948.

[F.No.25011/17/2019-Silk]

SANJAY RASTOGI, Addl. Secy.